दिनांक 01.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 356/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर, बरेली तथा बस्ती इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 01.07.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर, बरेली तथा बस्ती इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन सहारनपुर इकाई द्वारा ओमपाल सिंह निवासी ग्राम कसौली थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर से मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक मुकेन्द्र कुमार के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर से **उ0नि0 प्रवीण कुमार (थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर)** पुत्र विजयपाल शर्मा निवासी सैदपुर पडाव थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर को **50 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई द्वारा शाकिर अली निवासी बाबूजई थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर की माता श्रीमती दिलशाद बानो के खेत की तुदाबन्दी (नपत) करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में सऊआपुर नया बाईपास फ्लाईओवर के नीचे, नगरिया मोढ़ वाले रोड से **राजस्व लेखपाल योगेश कुमार तिवारी (तहसील सदर जनपद शाहजहाँपुर)** पुत्र स्व0 दिनेश तिवारी निवासी गोकुलपुरी थाना गोकुलपुरी उत्तरी-पूर्वी दिल्ली को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

3- भ्रष्टाचार निवारण संगठन बस्ती इकाई द्वारा राजेश कुमार निवासी ग्राम बलुआ थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर से पीएटीबी योजना के अन्तर्गत विभिन्न सामान के बिलों के भुगतान कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक अमरजीत के नेतृत्व में उसका ब्लाक परिसर के ब्लाक मिशन प्रबन्धन इकाई कार्यालय कक्ष से **संविदाकर्मी पंकज कुमार (ब्लाक मिशन प्रबन्धन इकाई)** पुत्र द्वारिका प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम सरया तिवारी खजनी थाना खजनी जनपद गोरखपुर को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 01.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 357/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुरादाबाद/थाना कटघर

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल ब्रिकी के 21 हजार 260 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) आदि बरामद**

दिनांक 30.06.2026 को थाना कटघर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रफातपुर अण्डरपास के पास पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्त 1–यशवीर 2–हाकम अली उर्फ हाकिम घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल ब्रिकी के 21 हजार 260 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) आदि बरामद किया गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कटघर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसमें अभियुक्त यशवीर के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, रामपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 28 अभियोग, अभियुक्त हाकम अली उर्फ हाकिम के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, रामपुर, उत्तराखण्ड के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कटघर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—यशवीर निवासी ग्राम भायपुर थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

2—हाकम अली उर्फ हाकिम निवासी गंजो वाली मिलक थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के माल ब्रिकी के 21 हजार 260 रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना ट्रोनिका सिटी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ (कीमत) की विभिन्न मोबाइल टावरो से चोरी के रेडियो रिसीवर यूनिट, बेस बैण्ड यूनिट**
- **रेडियो रिसीवर यूनिट चेकिंग मशीन**
- **मोबाइल टावर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी करने के उपकरण**
- **घटना में प्रयुक्त बीएम डब्लू कार बरामद**

दिनांक 01.07.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी, क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—अदनान उर्फ अज्जू 2—आमिर 3—सौरभ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ (कीमत) की विभिन्न मोबाइल टावरो से चोरी के रेडियो रिसीवर यूनिट, बेस बैण्ड यूनिट, रेडियो रिसीवर यूनिट चेकिंग मशीन, मोबाइल टावर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी करने के उपकरण, घटना में प्रयुक्त बीएम डब्लू कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से मोबाइल टावरों के उपकरणों की चोरी की घटना कारित की जाती थी।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अदनान उर्फ अज्जू निवासी मोहल्ला कोटला कस्बा व थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी हैवल्स चौक, खचेडू कालोनी, सेक्टर–31 फरीदाबाद हरियाणा।

2–आमिर निवासी ग्राम कसेरवा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर हालपता–60 फुटा रोड थाना टीलामोड गाजियाबाद।

3–सौरभ निवासी ग्राम टीला शाहबाजपुर थाना लोनी बार्डर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ (कीमत) की विभिन्न मोबाइल टावरो से चोरी के रेडियो रिसीवर यूनिट, बेस बैण्ड यूनिट।

2–रेडियो रिसीवर यूनिट चेकिंग मशीन।

3–मोबाइल टावर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी करने के उपकरण।

4–घटना में प्रयुक्त बीएम डब्लू कार।

जनपद औरैया/थाना विधूना

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 07 लाख 15 हजार रूपये नगद**
- **भारी मात्रा में चोरी की पीली धातु (116 ग्राम) –सफेद धातु (998 ग्राम) के आभूषण**
- **02 चार पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 30/01.07.2026 को थाना विधूना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विधूना रोड से ग्राम डहारियापुर को जाने वाले मार्ग

पर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मोमीन 2–विकास उर्फ गौरव उर्फ मामा ठाकुर घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–अमन 4–अकरम अली 5–इमरान 6–रोहित सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 07 लाख 15 हजार रूपये नगद, भारी मात्रा में चोरी की पीली धातु (116 ग्राम) –सफेद धातु (998 ग्राम) के आभूषण, 02 चार पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.06.2026 को थाना विधूना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना विधूना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मोमीन के विरूद्ध जनपद कन्नौज, औरैया के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त विकास उर्फ गौरव उर्फ मामा ठाकुर के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, कन्नौज, मैनपुरी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त अमन के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, औरैया व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना विधूना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोमीन निवासी– इस्लामनगर, थाना सौरिख, जनपद कन्नौज।

2–विकास उर्फ गौरव उर्फ मामा ठाकुर निवासी हरीपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

3–अमन निवासी आदर्श नगर कस्बा बिधूना थाना बिधूना जनपद औरैया।

4–अकरम अली निवासी– मोहल्ला धनकरी, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी।

5–इमरान निवासी– मोहल्ला धनकरी, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी।

6–रोहित निवासी– पुरइया थाना बेवर जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1–चोरी के 07 लाख 15 हजार रूपये नगद।

2–भारी मात्रा में चोरी की पीली धातु (116 ग्राम) –सफेद धातु (998 ग्राम) के आभूषण।

3–02 चार पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना सिद्धार्थनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 308 ग्राम अवैध स्मैक**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 01.07.2026 की रात्रि थाना सिद्धार्थनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमुआर नाला के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–अनिल 2–कोमल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 308 ग्राम अवैध स्मैक, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिद्धार्थनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल निवासी ग्राम मदरहना उर्फ रामनगर थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

2–कोमल निवासी अम्बेडकरनगर मोगलहा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1–लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 308 ग्राम अवैध स्मैक।

2–02 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 351(3) बीएनएस एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सागर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————